मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन

क्रमांक5724/5217/2018/दो/सी–1 भोपाल, दिनांक 3 /11/2018

प्रति,

1. जिला दण्डाधिकारी, समस्त
2. पुलिस अधीक्षक, समस्त मध्यप्रदेश।

विषय– **रिट पिटीशन (सिविल) क. 728/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2018, 30.10.2018 तथा 31.10.2018 के परिपालन के संबंध में।**

---000---

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 728/2015 अर्जुन गोपाल एवं अन्य विरूद्व भारत सरकार एवं अन्य प्रकरण में दिनांक 23.10.2018, 30.10.2018 तथा 31.10.2018 को दिवाली एवं अन्य प्रमुख अवसरों पर आतिशबाजी किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है।

2/– उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। इन आदेशों/निर्देशों का सूक्ष्मतः से अध्ययन करें तथा समस्त वांछित कार्यवाही प्रभावी रूप से क्रियान्वित करायें।

3/– मुख्य रूप से दिवाली के दिन आतिशबाजी के लिये नियत समयसीमा सायं 08:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक 02 घंटे की अवधि के लिये ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छूट प्रदान की गई है। अतः विशेष रूप से इसका क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

4/– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशों के अवहेलना/उल्लंघन की दशा में संबंधित थाना प्रभारी को व्यक्तिशः जिम्मेदार माने जाने के संबंध में उल्लेख किया है। अतः सभी थाना प्रभारियों को उक्त आदेशों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की जावें ताकि आदेश का पालन हो सकें व किसी भी दशा में अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

3/11/18

(अंजू पवन भदौरिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश, शासन, गृह विभाग

Desktop pracu. latte

पृ0क्र0 5725 / 5217 / 2018 / दो / सी–1 भोपाल, दिनांक 3 / 11 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय,भोपाल मध्यप्रदेश,
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग,
3. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग,
4. प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग,
5. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
6. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल,
7. नियंत्रक, राज्य विस्फोटक पदार्थ विभाग,
8. समस्त आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक, की ओर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
9. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग की ओर भेजकर अनुरोध है कि कृपया न्यायालयीन निर्णय के अनुसार व्यापक प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें।

3/11/18

(अंजू पवन भदौरिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश, शासन, गृह विभाग

Desktop pracu. latte